परिवहन मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति

427. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन नहीं हुआ है और गत तीन वर्षों में इसकी कभी भी नियमानुसार चार बैठकें नहीं हुई;

(ख) क्या यह भी सच है कि भाषा के प्रचार, विकास एवं प्रयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले टेलीप्रिन्टर, टेलेक्स, कम्प्यूटर, इलैक्ट्रोनिक टंकण यंत्र आदि यंत्रों की विभाग में व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण पिछले ग्यारह वर्षों से राजभाषा का सालाना प्रगामी कार्यक्रम पूरा नहीं किया जा सका; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सक्षम कदम उठाये गये हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) (क) से (ग) परिवहन मंत्रालय में अब तीन विभाग हैं, यथा – (1) रेल विभाग, (2) नागरविमानन विभाग, और (3) भू-परिवहन विभाग । इन तीनों विभागों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

1. **रेल विभाग** :

(क) रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का अक्तूबर, 1983 में 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया था । अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते वर्ष 1984 में इस समिति की केवल एक बैठक आयोजित की जा सकी थी, लेकिन चालू वर्ष के दौरान इसकी त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं ।

(ख) और (ग) जहां तक रेल विभाग और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों का संबंध है, भिन्न-2 रेल कार्यालयों में 7 देवनागरी टेलीप्रिंटर और एक इलेक्ट्रानिक देवनागरी टाइपराइटर की व्यवस्था की गयी है। कम्प्यूटरों की व्यवस्था के संबंध में, अन्तर्निहित तकनीकी कठिनाइयों के कारण, गृह मंत्रालय के परामर्श से इस की जांच की जा रही है । यह भी विनिश्चय किया गया है कि इस की जांच करने और कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए रेल विभाग में एक छोटी सी समिति बनायी जाये ।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमों के विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के संबंध में रेल विभाग की उपलब्धियां भी कम उल्लेखनीय नहीं हैं । रेल कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर सदैव हिन्दी में ही दिये जाते हैं । इस शीर्ष के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुपालन का लक्ष्य प्रायः सभी रेल कार्यालयों ने पहले ही प्राप्त कर लिया है । इसी प्रकार, मध्य रेलवे के बम्बई, भुसावल, सोलापुर, जबलपुर और झांसी मंडल, पूर्व रेलवे के आसनसोल और धनबाद मंडल, उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल, पश्चिम रेलवे के रतलाम, कोटा, जयपुर, अजमेर, बम्बई सेन्ट्रल राजकोट और भावनगर परा मंडल स. डि. का. और अ. अ. मा. सं. जैसे रेल कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का पूरा अनुपालन किया गया है ।

इसी प्रकार, मध्य रेलवे के मंडल और मुख्यालय कार्यालयों, पूर्व रेलवे के सियालदह, आसनसोल और दीनापुर मंडलों, उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अलीपुरद्वार, तिनसुकिया मंडलों और मुख्यालय, दक्षिण रेलवे के तिरूच्चिरापल्ली और मदुरै मंडलों, दक्षिण मध्य रेलवे के सभी मंडलों, दक्षिण पूर्व रेलवे के नागपुर, खड़गपुर, खोरधा रोड़ मंडलों, पश्चिम रेलवे के रतलाम, जयपुर, बम्बई सेन्ट्रल, बडोदरा, भावनगर परा मंडलों और मुख्यालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में

निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक पत्र मूलत: हिन्दी में भेजे जा रहे हैं ।

हिन्दी में तार जारी किये जाने के संबंध में मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल पूर्व रेलवे के धनबाद और दानापुर मंडलों, उत्तर रेलवे के इलाहाबाद और जोधपुर मंडलों, पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी मंडलों और मुख्यालय कार्यालय, पश्चिम रेलवे के रतलाम, जयपुर और अजमेर मंडलों में इस मद के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है । इनमें से अधिकांश कार्यालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक तार हिन्दी में भेजे जा रहे हैं ।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि रेल विभाग वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न मदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में पीछे नहीं है ।

ऐसे रेल कार्यालयों के संबंध में जहां लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया गया है, उठाये गये कुछ अधिक महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :-

(1) हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने और राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंडल/वर्कशाप स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं ।

(2) तिमाही प्रगति रिपोर्टें संकलित की जाती हैं और उनकी समीक्षा की जाती है । यदि कोई कमी पाई जाती है तो उन्हें दूर करने के लिए संबद्ध यूनिट/कार्यालय को कहा जाता है ।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे प्रलेख जिन्हें हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अपेक्षित है, द्विभाषी रूप में ही जारी किये जायें, चैक-प्वाइंट स्थापित किये गये हैं ।

(4) रेलों को यह अनुदेश है कि जब भी रेलवे अधिकारी निरीक्षण के लिए दौरे पर जायें तो वे संबद्ध कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का जायजा लेने के लिए भी निरीक्षण करें और अपनी निरीक्षण रपट को प्रति बोर्ड कार्यालय को भी भेजें ।

(5) बोर्ड कार्यालय और रेलों पर हिन्दी कार्य के लिए तैनात अधिकारियों द्वारा भी रेल कार्यालयों का यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाता है कि राजभाषा से संबंधित आदेशों का पूर्ण कार्यान्वयन हो ।

2. **नागर विमानन विभाग :**

(क) विगत 3 वर्षों के दौरान भूतपूर्व 'पर्यटन और नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति' की पांच बैठकें आयोजित की गयीं ।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि टेलीप्रिंटरों, टेलेक्स, कम्प्यूटरों, इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों आदि जैसे उपकरणों की व्यवस्था न किये जाने से राजभाषा का वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम पूरा नहीं किया जा सका । वार्षिक कार्यक्रम सतत प्रक्रिया है और उनके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास किये जाते हैं ।

(ग) आवश्यकता पड़ने पर ऐसे द्विभाषी उपकरण खरीदने के प्रयास किये जाएंगे ।

3. **भू-परिवहन विभाग :**

(क) जी नहीं । भूतपूर्व नौवहन और परिवहन मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन वर्ष 1981 में 25 मार्च को हुआ था । उक्त पुनर्गठन हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 25 मार्च, 1984 को समाप्त हो गया था । पिछले 3 वर्षों में इसकी बैठक 22 मार्च, 1982, 13 सितम्बर, 1982, 2 अप्रैल, 1983, 7

सितम्बर, 1983, 24 दिसम्बर, 1983 और 23 फरवरी, 1984 को हुई । इसका पुनर्गठन हाल में 15 जुलाई, 1985 को हुआ और हाल में इसकी पहली बैठक 22 जुलाई, 1985 को हुई ।

(ख) जी नहीं । इन यंत्रों के खरीदने का कार्यक्रम राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) ने वर्ष 1985-86 के कार्यक्रम में बनाया है । उक्त विभाग ने गृह राज्य मंत्री श्रीमती राम दुलारी सिन्हा की अध्यक्षता में 3 वर्ष की अवधि के लिए एक अन्तर्विभागीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसका काम सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से देवनागरी एवं द्विभाषी इलेक्ट्रोनिकी उपकरणों के प्रयोग संबंधी आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के बारे में अपनी रिपोर्ट देना है । उक्त समिति की सिफारिश पर सरकार का निर्णय प्राप्त होने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी । तथापि इन उपकरणों की खरीद के बारे में राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के निर्देश आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिए गए हैं और कार्यालयों ने बताया है कि आवश्यकता के अनुसार इन यंत्रों की खरीद की जायेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Making NCC Part of the Curriculum to all Universities and Colleges

428. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased 1o state:

(a) whether it is a fact that steps are under-way to make NCC part of the curriculum in all universities and colleges; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION ANp CULTURE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

परिवहन विकास परिषद् की सिफारिशें

429. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में दिल्ली में सम्पन्न हुई परिवहन विकास परिषद् की बैठक में ट्रकों के लिए राष्ट्रीय परमिट, वाहनों के लिये अखिल भारतीय पर्यटन परमिट, टैक्सी परमिट तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निजी सहयोग संबंधी विषयों पर किये गये विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और सरकार उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : परिवहन विकास परिषद् ने हाल में अक्टूबर 1985 की अपनी बैठक में सार्वजनिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिटों के सन्दर्भ में कोटा के प्रतिबन्ध को हटाने की सिफारिश की है और टैक्सियों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिटों की मौजूदा संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय किया है । बसों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिटों के लिए सिफारिश की गयी है कि अतिरिक्त कोटा की पहल सहित इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये कुछ राज्यों के परिवहन मंत्रियों की एक छोटी समिति गठित की जाय ।

परिषद् के सदस्यों ने राजमार्ग निर्माण में निजि क्षेत्र के भाग लेने के बारे में अपने मत व्यक्त किये ।

इन्दौर-मालवा एक्सप्रेस

430. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्दौर-मालवा एक्सप्रेस को कब से नियमित रूप से चलाये जाने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया): इन्दौर-नयी दिल्ली मालवा एक्सा-